भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2503
दिनांक 11.08.2025 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और घरेलू उत्पादन

2503 श्रीमती संगीता यादवः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकसित भारत 2047 रणनीति के अंतर्गत देश के ऊर्जा संबंधी परिवर्तन और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है;
(ख) यदि हाँ, तो पहचाने गए खनिजों और उनके अनुमानित घरेलू भंडार का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन खनिजों के घरेलू अन्वेषण, निष्कर्षण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) सरकार ने 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों को चिह्नित किया है जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इन खनिजों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में इस अधिनियम में वर्ष 2023 में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इन 24 खनिजों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

राष्ट्रीय खनिज सूची (एनएमआई) दिनांक 01.04.2020 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार/संसाधन अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सरकार ने घरेलू महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे:

i. दिनांक 29 जनवरी, 2025 को सरकार ने वर्ष 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 16,300 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना को मंजूरी दी है, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक, सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और गवेषण और खनन

से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों में भारत की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया जा सके।

ii. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों का गवेषण तीव्र कर दिया है। जीएसआई ने वर्ष 2024-25 में 195 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान जीएसआई ने देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 230 परियोजनाएं शुरू की हैं।

iii. गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) से वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू करने के लिए 33 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है।

iv. केंद्र सरकार ने 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 34 ब्लॉकों (2024-25 और 2025-26 के दौरान) की नीलामी की है।

v. गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए 13 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली श्रृंखला के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) दिनांक 13 मार्च, 2025 को जारी कर दी गई है। इसमें दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), प्लेटिनम समूह के तत्व (पीजीई), वैनेडियम आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कुछ ब्लॉक शामिल हैं।

vi. खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में 13 खनिज ब्लॉकों के लिए नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है, जिनमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और क्रस्ट के 7 ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण खनिज हैं।

vii. सरकार ने अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त/कम कर दिया है।

viii. खान मंत्रालय विभिन्न संस्थानों/प्रयोगशालाओं/स्टार्ट-अप्स/एमएसएमई आदि को महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण कर रहा है।

ix. खान मंत्रालय ने एनसीएमएम के अंतर्गत 7 संस्थानों - 4 आईआईटी और 3 अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं - को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी है।

x. खान मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, मोज़ाम्बिक आदि जैसे संसाधन संपन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं और महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और विकास में नवीनतम प्रौद्योगिकियों तक उनकी पहुंच है। खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी), भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ), भारत-यूके प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल (टीएसआई), क्वाड आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों में भी सहभागिता है।

अनुलग्नक-**I**

एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज **[24 खनिज]**
1. बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज।
2. कैडमियम युक्त खनिज।
3. कोबाल्ट युक्त खनिज।
4. गैलियम युक्त खनिज।
5. ग्लौकोनाइट।
6. ग्रेफाइट।
7. इंडियम युक्त खनिज।
8. लिथियम युक्त खनिज।
9. मोलिब्डेनम युक्त खनिज।
10. निकल युक्त खनिज।
11. नाइओबियम युक्त खनिज।
12. फॉस्फेट (यूरेनियम रहित)।
13. प्लैटिनम समूह के तत्व जिनमें खनिज होते हैं।
14. पोटाश।
15. "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम नहीं होते।
16. रेनियम युक्त खनिज।
17. सेलेनियम युक्त खनिज।
18. टैंटालम युक्त खनिज।
19. टेल्यूरियम युक्त खनिज।
20. टिन युक्त खनिज।
21. टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)।
22. टंगस्टन युक्त खनिज।
23. वैनेडियम युक्त खनिज।
24. जिरकोनियम युक्त खनिज और अयस्क जिनमें जिरकॉन भी शामिल है।

अनुलग्नक- **II**

एनएमआई के अनुसार दिनांक **01.04.2020** तक महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार/संसाधन

क्र. सं.	खनिज	इकाई	भंडार	शेष संसाधन	कुल संसाधन
1.	एंटीमनी				
	अयस्क	टन	7,503	11,180	18,683
	धातु	टन	75	180	255
2.	कोबाल्ट (अयस्क)	मिलियन टन	0	45	45
3.	ग्रेफाइट	टन	85,63,411	20,30,60,176	21,16,23,587
4.	मोलिब्डेनम				
	अयस्क	टन	0	2,72,03,398	2,72,03,398
	MoS_2 युक्त	टन	0	16,891	16,891
5.	निकल अयस्क	मिलियन टन	0	189	189
6.	रॉक फॉस्फेट	टन	3,08,76,093	28,03,77,392	31,12,53,485
7.	धातुओं का प्लैटिनम समूह (पीजीएम)	टन धातु समाहित	0	21	21
8.	पोटाश *	मिलियन टन	0	23,091	23,091
9.	दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई)	टन	0	4,59,727	4,59,727
10.	टिन				
	अयस्क	टन	2,101	8,37,20,794	8,37,22,895
	धातु	टन	974	1,02,783	1,03,757
11।	टाइटेनियम @	टन	1,59,98,625	41,11,08,526	42,71,07,150
12.	टंगस्टन				
	अयस्क	टन	0	8,94,32,464	8,94,32,464
	धातु	टन	0	1,44,650	1,44,650
13.	वैनेडियम				
	अयस्क	टन	0	2,46,33,855	2,46,33,855
	इसमें V_2O_5 शामिल है	टन	0	64,594	64,594
14.	ज़िरकोन	टन	6,69,466	16,74,435	23,43,901

आंकड़े पूर्णांकित हैं।

** इसमें ग्लौकोनाइट, पॉलीहैलाइट, सिल्वाइट होता है।*

@ इसमें इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोक्सीन और एनास्टेस शामिल हैं ।